

न्यायालय—दिलीपसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—224 / 2016

संस्थित दिनांक—18.03.2016

फाइलिंग क्र.234503002512016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// विरुद्ध //

- 1—फगनसिंह पिता महेश गोंड, उम्र—33 वर्ष, जाति गोंड,
- 2—अगनूसिंह धुर्वे पिता महेश धुर्वे, उम्र—30 वर्ष, जाति गोंड,
- 3—भरतलाल मेरावी पिता सुखराम मेरावी, उम्र—26 वर्ष, जाति गोंड,
- 4—बिसनसिंह पिता सुकलसिंह मेरावी, उम्र—40 वर्ष, जाति गोंड,
- 5—दुलमसिंह मेरावी पिता विश्रामसिंह मेरावी, उम्र—35 वर्ष, जाति गोंड,
- 6—हमेलसिंह पिता दुल्हेसिंह मेरावी, उम्र—32 वर्ष, जाति गोंड,

सभी निवासी—ग्राम धोपघट, थाना बिरसा,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियुक्तगण**

// निर्णय //

(आज दिनांक—07 / 06 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 186, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक—23.01.2016 को करीब 2:15 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव से बैहर रोड में लोकस्थान पर फरियादी संतोषी मुरचुले को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी के लोकसेवक होते हुए उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालकर, फरियादी को संत्रास करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— प्रकरण में अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—186 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्तगण पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संतोषी मुरचुले ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह

मोहगांव कृषि मंडी अध्यक्ष के पद पर पदस्थ थी। दिनांक-23.01.2016 को 2:15 बजे की बात है, वह बैहर से मोहगांव चंदन खैरवार के साथ कृषि मंडी जा रही थी, तभी लालघाटी में रोड पर मोहगांव तरफ से एक धान की गाड़ी 709 क्रमांक-सी.जी-08/एल-1854 आ रही थी, जिसे फरियादी ने रोकी, गाड़ी के नहीं रुकने पर फरियादी ने पीछा करके उसे रोका था। वाहन चालक फगनसिंह गोंड से फरियादी ने बोला था कि धान कहां ले जा रहे हो, मंडी रसीद दिखाओ, तब चालक फगनसिंह बोला था कि दमोह से बैहर जाने में कोई रसीद नहीं लगती है। यह कहकर फगनसिंह अश्लील गालियां देने लगा था, जो फरियादी को सुनने में बुरी लगी थी। फरियादी ने गाली देने से मना किया था तो वाहन में बैठे 4-5 व्यक्ति एक साथ मिलकर फरियादी को गालियां देने लगे थे और बोले थे कि फरियादी को कोई अधिकार नहीं है। फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी ने 100 डायल एवं मंडी उपनिरीक्षक फूलसिंह रहांगडाले को फोन लगाकर सूचना दी थी। 100 डायल के साहब तथा मंडी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और अभियुक्तगण के नाम पूछे तो उन्होंने अपने नाम फगनसिंह गोंड, हमेलसिंह मेरावी, बिसनसिंह मेरावी, टुलनसिंह मेरावी, भरतलाल मेरावी, अगनुसिंह धुर्वे बताए थे। चंदन खैरवार ने घटना को देखा एवं सुना था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मलाजखण्ड ने अपराध क्रमांक-16/16 का प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक-23.01.2016 को करीब 2:15 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव से बैहर रोड में फरियादी के लोकसेवक होते हुए उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाली थी ?

-विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- फरियादी संतोषी मुरचुले अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्तगण को चेहरे से जानती है। साक्षी का अभियुक्तगण से मौखिक विवाद हुआ था। इस

कारण साक्षी ने थाना मलाजखण्ड में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट की थी, जो प्रदर्श पी-1 है। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-2 है। फरियादी के पुलिस ने कथन लिये थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके कार्य में बाधा डाली थी एवं साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण साक्षी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के लोकसेवक होते हुए उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डाली थी। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-186 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-186 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

7- प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

8- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट